(33)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर0के0 मिश्रा

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4360–दो/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–12–2016 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला रीवा प्रकरण क्रमांक–181/अ–68/2013–14.

.....

लक्ष्मीकान्त तिवारी तनय कौशल प्रसाद तिवारी
निवासी ग्राम रघुराथपुर तहसील हुजूर जिला रीवा

------आवेदक

विरूद्ध

शासन म0प्र0 द्वारा पटवारी हल्का खैरा

------अनावेदक

.....

श्री आर0एस0 सेंगर, अभिभाषक, आवेदक
श्री एन0एस0 किरार, अभिभाषक, शासन

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/06/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला रीवा के आदेश दिनांक 13–12–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार हुजूर द्वारा प्रकरण कमांक 7/अ–68/13–14 में पारित आदेश दिनांक 28–8–2014 के द्वारा आवेदक के विरूद्ध संहिता की धारा 248 के तहत दोषी सिद्ध ठीराते हुये 5000/– अर्थदण्ड एवं बेदखली का आदेश दिया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जहां आदित्य नाथ तिवारी द्वारा एक आवेदन पत्र पक्षकार बनाये जाने बावत प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी हुजूर द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 13–12–2016 पक्षकार बनाये जाने का आदेश दिया। अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 13–12–2016 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि आदित्य नाथ तिवारी प्रकरण में शिकायतकर्ता था। लेकिन प्रकरण पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर उद्भूत

हुआ था। ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को पक्षकार बनाना उचित नहीं था। यह भी तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने आवेदक के विरूद्ध बेदखली का आदेश दिया है जिसमें शिकायतकर्ता हितबद्ध पक्षकार नहीं था। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पक्षकार बनाने के आदेश देने में त्रुटि की है।

4/ अनावेदक शासकीय अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का प्रकरण शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर ही प्रांरभ किया गया था। ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को सुना जाना भी आवश्यक था। अनुविभागीय अधिकारी ने पक्षकार बनाने के आदेश देने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचाराधीन भूमि शासकीय है और शासकीय भूमि पर आवेदक द्वारा कब्जा किये जाने संबंधी बेदखली आदेश तहसीलदार द्वारा पारित किया गया है। जहां तक अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आदित्यनाथ के पक्षकार बनाये जाने के आदेश का प्रश्न है अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आदित्यनाथ ने विधिवत आदेश 1 नियम 10 व्यवहार प्रकिया संहिता के तहत प्रस्तुत किया था जिसपर आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत हितबद्ध पक्षकार पाते हुये पक्षकार बनाया है। भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही कार्यवाही में शासकीय भूमि से लगी भूमि के भूमिस्वामी को हितबद्ध पक्षकार बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदित्यनाथ को पक्षकार बनाने में किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी खारिज की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला रीवा का आदेश दिनांक 13–12–2016 स्थिर रखा जाता है।

27/6/18

(आर0 के0 मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,